रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1970/माघ 11, 1891
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1970/MAGHA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture—ICAR)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January 1970

S.O. 386.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Agricultural Produce Cess Act, 1940 (27 of 1940), the Central Government, after consultation with the Indian Council of Agricultural Research, hereby directs that the wheat flour, one of the articles specified in the Schedule to the said Act, shall cease to be subject to the duty imposed by section 3 of the said Act for the period from the 1st January, 1970 to the 15th February, 1970.

[No. 23-1/70-Accounts.I.]

B. R. PATEL, Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1970

का० आ० 386—कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 (1940 का 27) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा निदेश देती है कि मैदा जो उक्त अधिनियम की अनसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में से एक है 1 जनवरी, 1970 से 15 फरवरी, 1970 तक की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा अधिरोपित शुल्क के अध्यधीन नहीं रहेगा।

[सं० 23-1/70-एकाउंट्स-1]

भ० रा० पटेल सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970